

सायायक सहस्रीलदार राममंगडी (कोटा)

पीठानी आधिकारी श्रीमति मियेलीया भीम (R.T.S)
सहस्रीलदार राममंगडी

दि. 17/2017.

खेमचन्द धान सिंगल लाल जाली जायक सिंगल राममंगडी

बनाम

बिरधी लाल धान देवी लाल भीम सिंगल हुडुकरखेड़ा
सहस्रीलदार राममंगडी

वाद प्राप्त अन्तर्गत धारा 183(बी) धार. टी. एम.

निर्णय दिनांक 29-9-17

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रारंभ में विवेदन किया है कि ग्राम हुडुकरखेड़ा की आरानी खलरा नं. 131 रकबा 0.70 है. शानस रेकर्ड में बिरधलाल धान अजद जोति जायक सिवाभी राममंगडी के जेर खालेकारी दर्ज है। खालेकार सिंगल लाल का देहान्त दिनांक 16-2-2016 हो गया है। मूलक खालेकार हम केंध वारिक है। जो अजद जोति की के अन्तर्गत आते हैं। उम्त प्रसि पर बिरधी लाल धान देवी लाल भीम सिंगल हुडुकरखेड़ा में जबरन हांक कर अवैध कब्जा कर लिया है। और आगुता व जातिगत गालिका देहडुए अपमानित किया है संक कब्जा खीड़ने में साफ इन्कार कर दिया है। उम्त प्रसि हमारी है। प्रसि को वापस कब्जा दिलाने का विवेदन किया है।

वाद प्राप्त पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जेर मोरिऊ हलक किया गया। अप्रार्थी ने अपने जका अन्तर्गत सिवाभी जेर खालेकार प्रसि पर कब्जा नहीं करना बताया है। अर्थात् अवैध कब्जा करने अस्वीकार किया है।

P.T. 0-2

तथा स्वयं के स्वतंत्र भी ख.नं. 128/2020 पर ही क्विंट
- होकर माफ़ कराने का काम है।

प्रकरण में पटवारी टैलर और धन पुता में
वर्तमान में रिपोर्ट ली गई और शामिल की
गई।

प्रार्थी व अप्रार्थी को अपन-अपन पक्ष
प्रस्तुत करने का अवसर - जवाब देकर संतुष्टि के लिए
दिए गए।

प्रभावली में संलग्न बागसह रेअर्ड परिधि में क्विंट
आवक रिपोर्ट आदि का अन्वेषण किया गया और
घट पाया गया की उक्त विवादित आराजी प्रार्थी की पुत्रा
विजय लाल 40 अंगुल जोरि जाटव काउंट के अंदर खलवा
जो है। रिपोर्ट पटवारी टैलर अत्रुला विवादित आराजी 131
के दक्षिणी पूर्वी कोने में उत्तरी पूर्वी कोने तक ख.नं. 128 के
लंगका-लंगका श्रृंखला पर ख.नं. 128 के खलवादार विरधी लाल 40
देवी लाल जी का द्वारा खेता 0.06 है। श्रृंखला पर खलवा कर रखा है।
श्रृंखला पर फसल की जा रही है। जो उक्त श्रृंखला पर अधिक
काम में अप्रार्थी में खलवा कर रखा है। अतः उक्त आराजी
में अप्रार्थी को बदरवान करने के आदेश दिए जाते हैं।
श. अ० श्रीश्रीश्री व पटवारी टैलर को पालन देकर
बेहरीर जारी है। प्रभावली नम्बर में क्विंट ही कर
दाखिल दफ्तर है।

निर्णय सुनाया गया।

मिचलेश जी का (R.T.S)
बहामिन्दार रामगंभीरी